बोरवेल से होने वाली मौतों को रोकने के लिये विधेयक

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार एक **विधिक प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में** है, जिसे **भारत में अपनी तरह का पहला कानून** माना जा रहा है, जिसका **उद्देश्य खुले बोरवेल से होने वाली मौतों को रोकना** है।

- पिछले सात महीनों में मध्य प्रदेश में नौ से अधिक ऐसी घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

मुख्य बिंदु:

- सुझाए गए कानून में **ऐसी आपदाओं को रोकने**, ऐसी आपदा होने पर इससे किस प्रकार निपटना है और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के बारे में **विशेष निर्देश** होंगे।
- विधेयक में **खुले और सूखे बोरवेल की पहचान कर** उन **लोगों पर भारी जुर्माना** लगाने की बात कही गई है जो **उन्हें बंद करने या भरने में विफल रहते हैं, जिससे बोरवेल खतरे का कारण बन जाते हैं।**
- अगर बोरवेल निजी ज़मीन पर है, तो ज़मीन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर यह सरकारी ज़मीन है, तो **संबंधित विभाग और अधिकारी को दंडित किया जाएगा।**
  - दूसरे चरण में **अगर कोई व्यक्ति खुले बोरवेल में गिरता है, तो आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज** किया जाएगा। अभी तक, आरोपी पर लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है। नए कानून के तहत, **आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।**
- भूमि मालिक या सरकारी अधिकारी के अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसी की भी ज़िम्मेदारी तय की जाएगी।
- **नागरिकों** के लिये एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे वे **खुले बोरवेल के बारे में सरकार को सूचित कर सकें**, **ताकि निवारक कार्रवाई की जा सके।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-to-table-bill-to-stop-borewell-deaths